राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2017/302 दिनांक :– 15.03.2017

देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय द्वारा देशी मदिरा रिटेल दुकानों/दुकान समूहों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में पूर्व जारी विज्ञप्ति कमांक 268 दिनांक 11.03.2017 एवं 288 दिनांक 15.03.2017 के बिन्दु संख्या 6, 13 एवं 15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

6. विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 16 मार्च, 2017 रात्रि 12.00 पीएम को बढाई जाकर दिनांक 17 मार्च, 2017 को अपरान्ह् 1.00 पीएम किया जाता है। अर्थात ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 17 मार्च, 2017 को अपरान्ह् 1.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।

13. उक्त प्रिन्टेड़ आवेदन पत्र को दिनांक **18 मार्च, 2017 को अपरान्ह् 2.00 पीएम** तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान की प्रति/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 रसीद संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15 किसी दुकान/दुकान समूह हेतु एकाधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी पूर्वानुसार ही राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 20.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे** जिला मुख्यालय पर निकाली जायेगी जो आवश्यकता होने पर आगामी कार्यदिवस को भी जारी रहेगी।

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

Sd/-

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक :–प 32(बी)(1)आब/एल/2017/301 दिनांक :– 16.03.2017

विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण की नियत तिथि को बढाई जाने की सूचना

इस कार्यालय द्वारा विदेशी मदिरा व बीयर की रिटेल ऑफ दुकानो के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में पूर्व जारी विज्ञप्ति कमांक 267 दिनांक 11.03.2017 एवं 287 दिनांक 15.03.2017 के बिन्दु संख्या 8, 15 एवं 17 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

8. विभागीय वेबसाईट **https://www.rajexciseapplication2017-18.org** एवं **https://rajexcise.gov.in** पर ऑनलाईन आवेदन के लिये अन्तिम तिथि 16 मार्च, 2017 रात्रि 12.00 पीएम को बढाई जाकर दिनांक 17 मार्च, 2017 को अपरान्ह 1.00 पीएम किया जाता है। अर्थात ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट पर अब दिनांक 17 मार्च, 2017 को अपरान्ह 1.00 पीएम तक भरे जा सकते है। इसके पश्चात ऑनलाईन आवेदन करने का लिंक समाप्त हो जायेगा।

15. उक्त प्रिन्टेड़ आवेदन पत्र को दिनांक 18 मार्च, 2017 को अपरान्ह 2.00 पीएम तक आवेदन शुल्क तथा अमानत राशि के चालान की प्रति/डिमान्ड ड्राफ्ट/जी0ए0–55 रसीद संलग्न करते हुए सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

17. किसी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम अथवा उसके जोन हेतु दुकानों की निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन लॉटरी की प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा। **लॉटरी पूर्वानुसार ही राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्यो के समक्ष दिनांक 20.03.2017 को प्रातः 11.00 बजे जिला मुख्यालयों पर निकाली जायेगी।** लॉटरी निकालने के स्थान की जानकारी/सूचना जिला कलक्टर एंव सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

अन्य सभी शर्ते यथावत रहेगी।

Sd/-

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर